न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कौशाम्बी।

उपस्थितः बद्री विशाल पाण्डेय, एच0जे0एस0

UPKS010021242026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या :332/2026

अबू बकर पुत्र मो0 सलीम निवासी उजिहिनी खालसा, थाना संदीपनघाट, जनपद कौशाम्बी।
.....प्रार्थी।

बनाम

उ0प्र0सरकार .....विपक्षीगण।

अ.सं.–66/2026
धारा–109(1), 352, 351(2) बी0एन0एस0 व
धारा–9/25 आर्म्स एक्ट
थाना–संदीपनघाट
जनपद–कौशाम्बी।

प्रार्थी की ओर से.....श्री आनंद शुक्ला, एडवोकेट।
राज्य की ओर से.....श्री अनिरूद्ध मिश्र, ए.डी.जी.सी. (क्रिमि.)।

10.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अबू बकर, जो मु0अ0सं0–66/2026, धारा–109(1), 352, 351(2) बी0एन0एस0 व धारा–9/25 आर्म्स एक्ट, थाना–संदीपनघाट, जनपद–कौशाम्बी के अन्तर्गत जिला कारागार में निरूद्ध है, की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता अबु समरा द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्र की धारा 1 लगायत 17 उसकी जानकारी में सच व सही है, इसमें न कुछ झूंठ है और न कुछ छिपाया गया है।

2. अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा नदीम अहमद ने थाना संदीपनघाट में इस आशय की सूचना दिया कि दिनांक 22.03.2026 को समय लगभग 09.00 बजे रात्रि को उसके ही गॉव का रहने वाला अरमान मस्जिद से आ रहा था तभी सोनू की मोटर साइकिल से टक्कर लग गया था। उसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। उक्त बात को लेकर अबूबकर, अबूबसर, सोनू व अयान, मन्नान की पान की दुकान पर आये और अपने हाथों में कट्टा लिए थे। वहीं पर उसके भाई मो0 हसीब व सहाब भी मौजूद थे तभी बात बात पर अबूबसर व सोनू ने सहाब को गोली मारा जिससे सहाब को पीठ पर और हथेली पर गोली लगी व अयान ने मो0 हसीब को पैर पर गोली मार दिया व अबूबसर ने उसके ऊपर फायर किया जिसमें वह बाल बाल बच गया और गॉव के लोगों को इकट्ठा होते देख गाली गालौज देते हुए कहा कि अगर कही शिकायत किया तो उसके परिवार को जान से मार देंगे, कहना हुआ भाग गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य के आलोक में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। दिनांक 22.03.2026 को ईद का त्योहार था और गांव के काफी लोग इकट्ठा थे इसी भीड़ भाड़ में कुछ लोगों के बीच में आपसी विवाद होने लगा था, उसी विवाद में कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आयी तथा पुरानी रंजिश को लेकर वादी द्वारा घटना को बढ़ा चढ़ाकर मनगढन्त घटना दिखाते हुए उक्त मुकदमा फर्जी तरीके से अंकित करा दिया गया है।

Digitally signed by BADRI VISHAL PANDEY
Date: 2026.07.13 19:02:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी रोजी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है तथा ईद के त्योहार होने के कारण कथित घटना के एक दिन पहले ही त्योहार मनाने वापस आया था परन्तु पुराने विवाद व रंजिश के कारण वादी द्वारा थाना की पुलिस से सांठ गांठ करके उसको उक्त मुकदमें में गलत तरीके से अभियुक्त बना दिया। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। सह–अभियुक्त मो0 अयान की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा व अन्य को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचे से फायर दिया जिससे वादी मुकदमा के परिवार के सदस्यों को गंभीर चोटें आयी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा के ही गॉव का रहने वाला अरमान मस्जिद से आ रहा था तभी सोनू की मोटर साइकिल से टक्कर लग गया था। उसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। उक्त बात को लेकर अबूबकर, अबूबसर, सोनू व अयान, मन्नान की पान की दुकान पर आये और अपने हाथों में कट्टा लिए थे। वहीं पर उसके भाई मो0 हसीब व सहाब भी मौजूद थे तभी बात बात पर अबूबसर व सोनू ने सहाब को गोली मारा जिससे सहाब को पीठ पर और हथेली पर गोली लगी व अयान ने मो0 हसीब को पैर पर गोली मार दिया व अबूबसर ने उसके ऊपर फायर किया जिसमें वह बाल बाल बच गया। पत्रावली में चोटहिल सहाबउद्दनीन के सीटी स्कैन प्लेट की छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल के हाथ की हथेली फायर आर्म की चोटों से उड़ गयी थी तथा उसे फायर आर्म की गम्भीर चोटें आयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा भी चोटहिल सहाबउद्दीन पर गोली चलायी गयी थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को मय अवैध तमंचा व कारतूस गिरफ्तार किया गया था। जिस अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी है, उससे मामले के तथ्य से प्रार्थी/अभियुक्त के मामले के तथ्य भिन्न हैं। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मामले के गुण दोष पर कोई विचार प्रकट किये बिना, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त अबू बकर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(बद्री विशाल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No.UP2025
दिनांकः10.07.2026